

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक-पि0व0/बजट-30-02/2015(खण्ड-II)- 24.3.20.

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
सारण, पुर्णिया, पटना, प0 चम्पारण, भागलपुर, सहरसा,
मुंगेर, समस्तीपुर, गया एवं रोहतास।

पटना, दिनांक- 17/03/26

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में पदस्थापित कार्यालय परिचारियों को वर्दी भत्ता (धुलाई भत्ता सहित) हेतु कुल राशि रु0 60,000/- (रु0 साठ हजार) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1172/वि०, दिनांक-15.02.2018 के द्वारा राज्य के चालकों/परिचारी संघर्ष के कर्मियों को पूर्व में वर्दी/पोशाक/जूता की आपूर्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रभाव में वर्दी भत्ता (धुलाई भत्ता सहित) के रूप में प्रति कर्मी रु0 5,000/- (रु0 पाँच हजार) मात्र प्रति वर्ष अनुमान्य किया गया है। उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों (संलग्न विवरणी के अनुस्रार) पदस्थापित कार्यालय परिचारियों को वर्दी भत्ता (धुलाई भत्ता सहित) हेतु प्रति कर्मी रु0 5,000/- की दर से कुल राशि रु0 60,000/- (रु0 साठ हजार) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2-कुल भारत व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025-26 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उप शीर्ष 0010-पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष 01.07 अन्य भत्ता विपत्र कोड संख्या-11-2225-03-277-0010 के अंतर्गत विकल्पित होगा।

3- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके निबंधी पदाधिकारी होंगे।

4- आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगित प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दिया जा रहा है।

6- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7- प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की आवंटन की सूचना दी जा रही है।

अनु०:-यथोक्त।

विरवासभाजन,

(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

P.T.O


झापांक-पि0व0/बजट-30-02/2015(खण्ड-II)- 24. पटना, दिनांक-17/03/26.
प्रतिलिपि-(1) वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबंधित अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/संबंधित आकासीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/संबंधित कार्यालय परिचारी/विभागीय बजट शाखा को (CFMS प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उपर सचिव।

386


बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागान्तर्गत विभिन्न जिलों में पदस्थापित कार्यालय परिचारी के लिए वर्दी भत्ता मद में आवंटित राशि का विवरण

विपत्र कोड-11-2225032770010		(राशि रू० में)
क्र० सं०	जिला का नाम	01.07 अन्य भत्ता
1	सारण	5000.00
2	पुर्णियाँ	5000.00
3	प० चम्पारण	5000.00
4	पटना	10000.00
6	भागलपुर	5000.00
7	सहरसा	5000.00
8	मुर्गेर	5000.00
9	समस्तीपुर	5000.00
10	गया	10000.00
11	रोहतास	5000.00
योग		60000.00

कुल राशि (रू० साठ हजार) मात्र

पत्रांक- 24 दिनांक- 17/03/26 का अनुलग्नक


सरकार के अपर सचिव